रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248454
CG-DL-E-31082023-248454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3689] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945
No. 3689] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

## विद्युत मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2023

**का.आ. 3850(अ).**—मेसर्स किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय डीएलएफ सायबर पार्क टावर ब, 9वीं मंजिल, सेक्टर 20, उद्योग विहार फेस-III, गुरूग्राम -122008, हरियाणा भारत में स्थित है ने पारेषण योजना "पाकलडुल जलविद्युत उत्पादन संयंत्र से ऊर्जा निष्कर्षण के लिए चिनाब उपनदी क्षेत्र में संचार प्रणाली - कनेक्टिविटी प्रणाली" के तहत शिरोपरि विद्युत लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. letter CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division Part (2) dated 17.11.2021 के द्वारा पारेषण योजना "पाकलडुल जलविद्युत उत्पादन संयंत्र से ऊर्जा निष्कर्षण के लिए चिनाब उपनदी क्षेत्र में संचार प्रणाली - कनेक्टिविटी प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए मेसर्स किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल) को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल) ने स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 03.01.2023 को (कश्मीर उज़्मा, उड़ान, द स्टेट टाइम्स और जागरण) और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 15.04.2023 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल) ने 04.08.2023 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई आपत्ति, अवलोकन/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "पाकलडुल जलविद्युत उत्पादन संयंत्र से ऊर्जा निष्कर्षण के लिए चिनाब उपनदी क्षेत्र में संचार प्रणाली - कनेक्टिविटी प्रणाली" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. किश्तवाड़ में किशनपुर-दुलहस्ती 400 केवी डी/सी लाइन के एक सर्किट का लिलो।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत पारेषण लाइन जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश के निम्नांकित गाँवों,कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

| गॉवों के नाम | तालुक | जिला |
|---|---|---|
| त्रिगाम, जनवास, नागनी, लवनियाल, अगराल, लावा, गहन | किश्तवाड़ | किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर (संघ शासित प्रदेश) |

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल) को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vi) मेसर्स किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा.सं. 25-16/12/2023-पीजी]

संजीव जैन, अवर सचिव

## MINISTRY OF POWER

### ORDER

New Delhi, the 30th August, 2023

**S.O. 3850(E).—**Whereas M/s Kishtwar Transmission Limited has its registered address at DLF Cyber Park Tower-B, 9th Floor, Udyog Vihar Phase-III, Sector 20, Gurugram-122008, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission System for evacuation of power from Pakaldul HEP in Chenab Valley HEPs- Connectivity System".

And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its letter CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division Part(2) dated 17.11.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Kishtwar Transmission Limited for the overhead line covered under the

transmission scheme "Transmission System for evacuation of power from Pakaldul HEP in Chenab Valley HEPs-Connectivity System".

M/s Kishtwar Transmission Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 03.01.2023 (Kashmir Uzma, Udaan, The State Times and Jagran) and in Weekly Gazette of India dated 15.04.2023 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Kishtwar Transmission Limited has submitted an affidavit dated 04.08.2023 declaring that no objection, observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication in the official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission System for evacuation of power from Pakaldul HEP in Chenab Valley HEPs- Connectivity System". The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. LILO of one circuit of Kishenpur – Dulhasti 400 kV D/C line at Kishtwar.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Jammu & Kashmir (UT):

| S. No | Name of Villages | Tehsil | District |
|---|---|---|---|
| 1. | Trigam, Janwas, Nagni, Lawnyal, Agral, Lawa, Gahan | Kishtwar | Kishtwar, Jammu & Kashmir (UT) |

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Kishtwar Transmission Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

(i) The approval is granted for 25 years.

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s Kishtwar Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/12/2023-PG]
SANJEEV JAIN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.31 22:02:15 +05'30'